UPGK010050512026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या–2209/2026

विपिन कुमार उम्र 29 वर्ष पुत्र सुबालाल निवासी- लाल बेगिया वार्ड नं०- 11, थाना- चिरैया, जनपद- मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), बिहार।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु0अ0सं0- 32/2026
अंतर्गत धारा- 305(c), 317(2), 317(4) भा०न्या०सं०
थाना- जी०आर०पी०, जनपद-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त विपिन कुमार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2209/2026, मु0अ0सं0- 32/2026, अंतर्गत धारा- 305(c), 317(2), 317(4) भा०न्या०सं०, थाना- जी०आर०पी०, जनपद-गोरखपुर की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध हैं।

2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा भरत कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व. बृज मोहन शर्मा निवासी शिवपुरी ग्वालियर म.प्र. दिनांक 11 जनवरी 2026 को ग्यावलियर से सिवान ट्रेन क्रमांक 11123 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस से बर्थ क्रमांक 9 पर यात्रा कर रहा था कि 12 जनवरी 2026 दरयानी लगभग प्रात 5:00 बजे गोरखपुर से पूर्व ही मेरा मोबाइल रेडमी सिम नं0 8643092858 किसी अज्ञात द्वारा उठाकर भाग गया जिसकी तत्काल सूचना मेरे द्वारा 139 139 हेल्प लाईन रेलवे को कर दी गई।

3. दिनांक 20.04.2026 को उपनिरीक्षक शमशीर अहमद मय हमराह अन्य पुलिसकर्मीगण जहर खुरानी टीम के सादे वस्त्रों में देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित चेकिंग संदिग्ध वस्तु/व्यक्ति में मामूर होकर प्लेटफार्म नं० 1 के 6ए गेट से बाहर जाने वाले रास्तु पर पहुंचे कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया कि हम पुलिसबल को देखकर हड़बड़ाकर भागना चाहा। पुलिसवालों द्वारा घेर लिया गया व भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मेरे पास चोरी की 02

मोबाइल है। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विपिन कुमार पुत्र सुबालाल बताया व जामा तलाशी से उसके कब्जे से 02 अदद वनप्लस व रेडमी कम्पनी के बरामद हुए।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई जुर्म नहीं किया है फर्जी तरीके से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक/अभियुक्त को स्थानीय जी०आर०पी० की पुलिस स्टेशन परिसर से पूछताछ के लिए उठाकर ले गयी तथा फर्जी मोबाईल दिखाकर आवेदक/अभियुक्त का चालान कर दिया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी भी चोरी के मोबाईल की बरामदगी नहीं हुई है स्थानीय थाना जी०आर०पी० की पुलिस ने अपने पास से दिखाकर चालान कर दिया है। घटना के वक्त आवेदक/अभियुक्त अपने घर पर थे, बरामदशुदा मोबाईल से आवेदक/अभियुक्त का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त मामले में आवेदक/अभियुक्त न तो रेलवे प्लेटफार्म पर जाकर किसी का मोबाईल चुराया है और न ही प्लेटफार्म पर और स्टेशन पर लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज में आवेदक/अभियुक्त का कोई चित्र आया है इस नाते घटना झूठी और संदिग्ध प्रतीत होती है। स्थानीय थानाजी०आर०पी० की पुलिस ने जानबूझकर वर्कआउट करने की नियत से अज्ञात प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त बनाया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक- 20.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया कि आवेदक/अभियुक्त ट्रेन से यात्रियों का कीमती सामान व मोबाइल चुराने का अभ्यस्त अपराधी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस आधार पर जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं हैं। कथित घटना एवं फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी अभियुक्त का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी होना नहीं बताया गया है। यद्यपि अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसे किसी भी मामले में दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 20.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त विपिन कुमार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2209/2026 को मु0 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक-01.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.01 14:43:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court